राजस्थान – सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा

क्रमांकःन्यायालय/न्यायशुल्क रिफण्ड/2019/ 6799 दिनांक– 18-6-.2019

2019/00199

:: आदेश ::

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 01 भीलवाडा द्वारा प्रकरण सं. 43/15 में निर्णय पारित करते हुए यह आदेश दिया है कि वादी सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल लढ़ा निवासी 99, सुभाषनगर, पश्चिम विस्तार, भीलवाडा न्यायशुल्क राशि वापस प्राप्त करने के अधिकारी है और आदेशानुसार प्रकरण में रूपया 1,12,325/– अक्षरे एक लाख बारह हजार तीन सौ पच्चीस रूपये मात्र न्याय शुल्क लौटाये जाने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया है।

अतः न्यायालय आदेशानुसार वादी सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल लढ़ा निवासी 99, सुभाषनगर, पश्चिम विस्तार, भीलवाडा को 1,12,325/– अक्षरे एक लाख बारह हजार तीन सौ पच्चीस रूपये मद 0030 में वापिस करने (रिफण्ड) की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः–

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 01 भीलवाडा को उनके प्रमाण पत्र कमांक 403 दिनांक 31.05.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि वादी को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने की कार्यवाही करें एवं संलग्न प्रपत्र पार्ट तृतीय की पूर्ति की जाकर सम्बन्धित न्यायालय में भिजावें।
3. कोषाधिकारी भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख हैं कि वादी द्वारा स्टाम्प की जमा राशि के चालान की प्रति चाहे जाने पर उपलब्ध करावें ।
4. वादी सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल लढ़ा निवासी 99, सुभाषनगर, पश्चिम विस्तार, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि जमा राशी चालान की फोटोप्रति, बैंक खाता नम्बर, पैन नम्बर, आधार नम्बर की फोटोप्रति एवं मोबाईल नं. लेखा शाखा में प्रस्तुत करें ।

-Sd/-

प्रभारी अधिकारी
न्यायालय अनुभाग